भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 2336
गुरुवार, 13 मार्च, 2025 (22 फाल्गुन, 1946 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

विमान उड़ानों में तकनीकी खराबी

2336. श्रीमती मंजू शर्मा:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले वर्ष के दौरान देश में सुरक्षित, कुशल और विश्वस्तरीय हवाई यात्रा सेवाएं प्रदान करने में तकनीकी गड़बड़ियों और विफलताओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में सुरक्षित हवाई यात्रा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार के पास हवाई यात्रा से संबंधित सुरक्षा और संरक्षा उपायों की जांच करने के लिए कोई तंत्र है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में विभिन्न एयरलाइन कंपनियों को जारी किए गए नोटिसों का ब्यौरा क्या है और ऐसे विमानन सुरक्षा उल्लंघनों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (घ): विमान में तकनीकी खराबियां आना सामान्य परिघटना है जिनका कारण विमान में लगे कलपुर्जों/प्रणाली/सहायक उपकरणों के उचित रूप से काम न करना/खराब हो जाना हो सकता है। देश में पिछले वर्ष के दौरान रिपोर्ट की गई तकनीकी खराबियों का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

डीजीसीए ने नागर विमानन अपेक्षा (सीएआर) के तहत विनियम निर्धारित किए हैं, जिनके अनुसार विमान का अनुरक्षण विनिर्माता और डीजीसीए के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाना चाहिए तथा विमान को उड़ान के लिए रिलीज करने से पहले उसमें रिपोर्ट की गई सभी तकनीकी खराबियों को ठीक कर लिया जाना चाहिए।

इसके अलावा, 28 नवंबर 2024 को जारी उड़नयोग्यता एडवाइजरी परिपत्र एएसी संख्या 02/2024 के अनुसार प्रचालक को सभी घटनाओं की रिपोर्ट डीजीसीए को देनी होगी। घटनाओं में वृद्धि के मामले में, डीजीसीए स्पॉट चेक/ रात्रि निगरानी सहित विशेष ऑडिट अभियान शुरु कर सकता है।

नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) निगरानी, ऑडिट, स्पॉट चेक, रात्रि निगरानी आदि की प्रणाली के माध्यम से सुनिश्चित करता है कि एयरलाइनें और अनुरक्षण संगठन उन विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन करते आ रहे हैं, जिनके लिए उन्हें शुरू में अनुमोदन दिया गया था। डीजीसीए सुनिश्चित करता है कि एयरलाइनें/अनुरक्षण संगठन आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करें। उल्लंघनों के मामले में, एयरलाइन/संगठन/कार्मिकों के विरुद्ध डीजीसीए प्रवर्तन कार्रवाई शुरू कर सकता है, जिसमें वित्तीय जुर्माना लगाने सहित चेतावनी, अनुमोदन/प्रमाणपत्र/लाइसेंस का निलंबन या रद्द करना शामिल हो सकता है। यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत तंत्र मौजूद है।

पिछले एक वर्ष के दौरान किसी भी एयरलाइन कंपनी के खिलाफ कोई नोटिस या कार्रवाई शुरू नहीं की गई है।

अनुलग्नक

वर्ष 2024 में एयरलाइनों के विमानों में खराबी के मामलों की संख्या

क्र. सं.	एयरलाइन का नाम	वर्ष 2024 में तकनीकी खराबियों/गड़बड़ियों की संख्या
1.	मैसर्स इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड (इंडिगो)	105
2.	मैसर्स स्पाइसजेट लिमिटेड	17
3.	मैसर्स एअर इंडिया लिमिटेड	55
4.	मैसर्स विस्तारा	06
5.	मैसर्स एअर इंडिया एक्सप्रैस लिमिटेड	20
6.	मैसर्स एअर एशिया लिमिटेड	18
7.	मैसर्स बिग चार्टर प्रा. लिमिटेड (फ्लाई बिग)	03
8.	मैसर्स अकासा एअर	04
9.	मैसर्स ब्लू डार्ट एविएशन लिमिटेड	01
	कुल	**229**

******